न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान विरूराम बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 43/2024
निर्णय दिनांक ....26/06/25........

विरूराम पुत्र गंगाराम जाति जांगिड़ निवासी झोथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

उपस्थितिः–

1. श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़ (वकील प्रार्थी)
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार तारानगर

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 125 खसरा सं. 908/75 तादादी 1.8335, हैक्ट, खसरा नं. 913/462 तादादी 1.9726 हैक्ट. कुल तादादी 3.8061 हैक्ट. में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की वर्तमान राजस्व जमाबंदी में भूलवश प्रार्थी का नाम विरूराम पुत्र गंगाराम की जगह बिरूराम पुत्र गंगाराम दर्ज हो गया, जो कि गलत दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में सही नाम विरूराम पुत्र गंगाराम है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 125 खसरा सं. 908/75 तादादी 1.8335, हैक्ट, खसरा नं. 913/462 तादादी 1.9726 हैक्ट. कुल तादादी 3.8061 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम विरूराम पुत्र गंगाराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम विरूराम पुत्र गंगाराम व बिरूराम पुत्र गंगाराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम विरूराम पुत्र गंगाराम पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम विरूराम पुत्र गंगाराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बिरूराम पुत्र गंगाराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 125 खसरा सं. 908/75 तादादी 1.8335, हैक्ट, खसरा नं. 913/462 तादादी 1.9726 हैक्ट. कुल तादादी 3.8061 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम **बिरूराम पुत्र गंगाराम Delete** कर इसके स्थान पर **विरूराम पुत्र गंगाराम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...26/06/25... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)